

प्रति,

श्री दशरथ नारायण गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम,
लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 1994

विषय:- उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में लागू विवेकता
नियमावली के संशोधन ।

=====

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिवहन निगम मुख्यालय के पत्र संख्या: 492498/98-
349898/97, दिनांक 31 मार्च 1998 के तन्दर्ज में मुझे यह बताने का निदेश हुआ
है कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा लागू विवेकता नियमावली 1994
के विधिवत 26 में प्रस्तावित संशोधन पर शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

ह0/-

दशरथ नारायण गुप्त
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर्मचारी/अधिकारी विवेकता एवं परिवर्षा नियमावली
1994 के अनुसूची-26 में प्रस्तावित संशोधित प्रावधान के सम्बन्ध में 1 - - - - -

वर्तमान प्रावधान

प्रस्तावित प्रावधान

निर्णय-26

कर्मचारी/अधिकारी के अग्रिम आवेदन पत्र
पर संबंधित सक्षम अधिकारी अपने विवेका-
नुसार अग्रिम धरणाओं को स्वीकृत कर
सकेगा, जिसपर शासन/निगम बोर्ड द्वारा
अधिकृत अधिकारियों को भी व्यवस्था निर्धारित
रिक्तियां जाय॥ द्वारा स्वीकृत प्रदान की जायेगी।

कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके आश्रितों
को गंभीर बीमारों की स्थिति में दिखे
जाने वाले अग्रिम आवेदन पत्र पर
संबंधित सक्षम अधिकारी शार्वजिनिक
उपम च्युरों द्वारा समय-समय पर
निर्गत आदेशों को अंगीकृत करते हुए,
जिसपर शासन/निगम बोर्ड द्वारा
अधिकृत अधिकारियों को भी व्यवस्था
निर्धारित किया जाय॥ द्वारा स्वीकृत
प्रदान को जायेगी।

ह0/-

मोहन सिंह
विभागाध्यक्ष